

**नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017**

भाग—एक

1 प्रारम्भिक:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल0ए0)-खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक निम्नलिखित प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी/आहरण व वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे:—

(1) प्रधान

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी शर्मा	1.4.2015 से 17.1.2016
2	श्रीमति सोमा देवी	21.1.2016 से 31.3.2017

(2) कार्यकारी अधिकारी

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष गौतम	17.4.2015 से 17.8.2015
2	श्री के०आर० ठाकुर	17.8.2015 से 31.3.2017

(ख) नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं०	₹ लाखों में
1	दिनांक 31.3.17 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	6.1	818.76
2	निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण अनुदान का अवरोधन	6.3	25.30

3	दिनांक 31.3.17 तक दुकानों के किराये व उक्त पर देय ब्याज की वसूली शेष	7	86.00
4	विश्राम गृह रहन बसेरा व अन्य भवनों की वसूली न करना	7.5	2.47
5	मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण की वसूली शेष	7.8	4.95
6	स्थापना पर अनाधिकृत व्यय	8	135.98
7	गलत वेतन निर्धारित करने के कारण भुगतान	9 (क)	3.57
8	पार्किंगों को किराये पर न देने के कारण पार्किंगों के निर्माण पर निष्फल व्यय	15	17.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "A"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा शेष पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष प्रयास परिषद द्वारा गत शेष पैरों के निपटारे हेतु नहीं किये गये जोकि चिन्ताजनक है। अतः इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए जिससे अधिक से अधिक अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक का अंकेक्षण कार्य श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री सुनील कुमार (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 16.10.17 से 15.12.17 तक बिलासपुर में किया गया।

मुख्य रोकड़ बही की आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 में आय व व्यय के लिए माह क्रमशः 4/2015, 1/2016 व 3/2017 व व्यय के लिए भी माह

3/2017 के लेखाओं का चयन किया गया। National Urban livili hood mission (NULM) की रोकड़ बही के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/15 (2015-16) व माह 6/16 (2016-17) चयनित किया गया है। 13th वित्त आयोग की रोकड़ बही के व्यय के लिए माह 11/15 (2015-16) व माह 9/16 (2016-17) चयनित किया गया। CCBP की रोकड़ बही के व्यय के लिए माह 9/2015 (2015-16) व माह 11/16 (2016-17) का विस्तृत जाँच हेतु चयन किया गया।

नगर परिषद बिलासपुर के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचनाओं के लिये स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकक्षण केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकक्षण शुल्क:-

नगर परिषद बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 तक के अंकक्षण करने का अंकक्षण शुल्क ₹56600 बनता है। अंकक्षण अध्याचना संख्या 31 दिनांक 13.12.17 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उक्त राशि निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को शीघ्र भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, विस्तृत विवरण परिशिष्ट (B) में भी दिया गया है।

मुख्य रोकड़ बही

वर्ष 2015-16

(i)	दिनांक 01.04.2015 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष	9786904.10
(ii)	वर्ष 2015-16 में बचत खातों पर अर्जित ब्याज	630117.00
(iii)	वर्ष 2015-16 में अनुदानों से प्राप्त राशि	20029817.00
(iv)	वर्ष 2015-16 में तेरहवाँ वित्त आयोग अनुदान राशि से	8300000.00

	वेतन भुगतान हेतु लिया गया ऋण	
(v)	वर्ष 2015-16 में स्वयं स्रोतों से आय	3350070.00
(vi)	वर्ष 2015-16 में कुल प्राप्त राशि	42097208.10
(vii)	वर्ष 2015-16 में व्यय की गई राशि	(-) 31617376
(viii)	दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष राशि	10479832.10

वर्ष 2016-2017

(i)	दिनांक 1.4.2016 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष	10479832.10
(ii)	वर्ष 2016-17 में बचत खातों पर अर्जित ब्याज	883018.00
(iii)	वर्ष 2016-17 में अनुदानों से प्राप्त आय	38005200.00
(iv)	वर्ष 2016-17 में तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग अनुदान राशि से वेतन भुगतान हेतु लिया गया ऋण	7300000.00
(v)	वर्ष 2016-17 में स्वयं स्रोतों से प्राप्त आय	5372263.00
(vi)	वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्त राशि	62040313.10
(vii)	वर्ष 2016-17 में व्यय की गई कुल राशि	(-) 36875072.00
(viii)	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष राशि	25165241.10
(i)	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2017 को अन्तशेष	25165241.10
(ii)	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों में पैरा 4 (डी) के अनुसार कुल जमा राशि	25146660.10

4 (ए) बैंक समाधान विवरणिका:-

(i)	रोकड़ बही का 31.3.17 को अन्तशेष	25165241.10
(ii)	रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक परन्तु बैंक में जमा नहीं किये गये (पैरा 4 बी)	(-) 27000.00
(iii)	कुल राशि	25138241.10
(iv)	रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो बैंक को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए (पैरा 4 सी)	(+) 3200
(v)	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर के खाता संख्या 923 में निम्न विवरणानुसार दिया गया ब्याज जिसे रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया	

दिनांक	राशि
25.6.16	2057
25.9.16	1055
25.12.16	1054
25.3.17	1053

योग

(+) 5219

बैंक में जमा कुल राशि

25146660.10

(बी) रोकड़ बही में दर्ज आय के चेक परन्तु बैंक में जमा नहीं किये गये का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र०सं०	चेक नं०	दिनांक	राशि
(i)	739052	31.03.17	5000
(ii)	378266	31.03.17	22000
		कुल राशि	27000

(सी) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही दर्ज व्यय के चेक परन्तु बैंक से भुनाये नहीं गये का विवरण निम्नलिखित है।

क्र०सं०	चेक नं०	दिनांक	राशि
(1)	795903	2.3.17	3200
		कुल राशि	3200

(डी) दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र०सं०	खाता नं०	बैंक का नाम	जमा राशि
(i)	5566	राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर	4379598.60
(ii)	12388	—यथोपरि—	20617944.50
(iii)	923	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर	107770
(iv)	12197	—यथोपरि—	41347
		कुल योग राशि	25146660.10

- 4.1 (तेरहवाँ व चौदहवाँ राज्य वित्त आयोग रोकड़ बही):— नगर परिषद बिलासपुर के तेरहवाँ व चौदहवाँ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है तथा विवरण परिशिष्ट (सी) में दिया गया है:—

वर्ष	गत शेष	ब्याज	अनुदान	वेतन हेतु ऋण की वापिसी	कुल जमा	व्यय	वेतन हेतु दिया गया ऋण	अन्तशेष
2015—16	33501260	942557	5773289	2000000	42217116	1902364	8300000	32014752
2016—17	32014752	339357	7089200	7300000	46743309	4969191	7300000	34474118
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष								₹34474118
जमा का विवरण								
दिनांक 31.3.2017 को खाता संख्या 10610115346 में जमा राशि								₹9474118
सावधि खाते में निवेशित राशि								25000000
योग								₹34474118

4.2 (NULM रोकड़ बही) :—

नगर परिषद बिलासपुर के NULM अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (D) में भी दिया गया है।

वर्ष	गतशेष	ब्याज	आय	अनुदान	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2015—16	720015.90	26842	—	104000	1790857.90	798013.98	992843.92
2016—17	992843.92	29366	1200	420000	1443409.2	758328.68	68508.24
रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष							₹685081.24
दिनांक 31.3.17 की खाता संख्या 33820001088766279 में जमा राशि							₹685476.24
अन्तर राशि							₹395

बैंक समाधान विवरणिका:—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय का चैक परन्तु भुनाया नहीं गया:—

क्र०सं०	चैक सं०	दिनांक	राशि
1	745610	24.3.17	395

4.3 सी0सी0बी0पी0 रोकड़ बही:—

नगर परिषद बिलासपुर के CCBP अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (E) में दिया गया है:—

वर्ष	गतशेष	अनुदान	ब्याज	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2015—16	शून्य	543752	5879	549631	179384	370247
2016—17	370247	283316	22974	676537	232697	443840
	दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष					443840
	दिनांक 31.3.17 को खाता संख्या 50100072329018 में जमा राशि					443840

4.4 पी0एम0ए0वाई0:— एच0एफ0ए0 की रोकड़ बही:—

नगर परिषद बिलासपुर की पी0एम0ए0 वाई0—एच0एफ0ए0 की अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (F) में दिया गया है।

वर्ष	गतशेष	अनुदान	ब्याज	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2016—17	—	22372405	213707	22586112	1130290	21455822
	दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष					21455822
	बैंक खाता संख्या 073311000345 में दिनांक 31.3.17 को जमा राशि					21455822

4.5 राजीव गाँधी अर्बन रिनियूअल फेसिलिटी (RGURF) की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:—

राजीव गाँधी अर्बन रिनियूअल फेसिलिटी के अन्तर्गत आधारभूत संरचना (Infrastructure) व सेनेट्री व्यवस्थाओं में सुधार हेतु निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश से ड्राफ्ट संख्या 1825430 दिनांक 9.4.08 को ₹16400000 की राशि प्राप्त हुई थी। अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक इसकी वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	गतशेष	ब्याज	प्राप्ति	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2015-16	856280	265615	11578849	12700744	200000	12500744
2016-17	12500744	202200	शून्य	12702944	24240	12678704

उपरोक्त ₹12678704 की राशि को निम्न विवरणानुसार बचत एवं सावधि खातों में निवेश किया गया था:-

	राशि
(1) बचत खाता संख्या 10610613367 में जमा राशि	2678704
(2) नगर परिषद के पत्र संख्या MCS/FDR/2016-1326 दिनांक 1.7. 2016 द्वारा एक वर्ष के लिए निवेशित राशि	10000000
योग	12678704

5 निवेश:-

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक तेरहवें वित्त आयोग और राजीव गाँधी अर्बन रिनियूअल फैसिलिटी (RGURF) की रोकड़ बही से क्रमशः ₹25000000 व ₹10000000 का सावधि जमा योजना में निवेश किया गया है जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "F(1)" पर दिया गया है।

6 अनुदान:-

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक विभिन्न विभागों, संस्थाओं तथा शहरी विकास निदेशालय से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण निम्नलिखित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "G" में दिया गया है।

(i) मुख्य रोकड़ बही के अनुसार अनुदान राशि विवरण:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त अनुदान	कुल प्राप्त अनुदान राशि	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तशेष
2015-16	9786904	20029817	29816721	21004490	8812231
2016-17	8812231	38005200	46817431	22488669	24328762
(ii) एस0जे0आर0वाई0 (SJSRY/NULM) अनुदान राशि विवरण					
2015-16	654360	1044000	1698360	489763	1208597
2016-17	1208597	420000	1628597	212186	1416411
(iii) सी0सी0बी.पी. (CCBP) की अनुदान राशि का विवरण					
2015-16	0	543752	543752	179384	364368
2016-17	384368	283316	647684	232697	414987
(iv) पी0एम0ए0वाई (PMAY-HFA) की अनुदान राशि का विवरण					
2016-17	0	22372405	22372405	1130290	21242115

(v) तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण

2015-16	26741063	5773289	32514352	8202364	24311988
2016-17	24311988	7089200	31401188	12269191	19131997

6.1 दिनांक 31.3.2017 को ₹818.76 लाख अनुदानों की अनुपयुक्त राशि

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से ₹81876393 की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जिसमें से ₹47402275 का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट (G) पर दिया गया है तथा शेष राशि तेरहवें व चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों में से ₹34474118 परिशिष्ट (I) अनुपयोगी पड़ी थी। अतः अनुदानों की अनुपयुक्त राशियों को समयवध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उन्ही उद्देश्य जिन हेतु यह राशि प्राप्त हुई थी को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि को सम्बन्धित विभाग को वापिस लौटाया जाए। दिनांक 31.3.17 को अप्रयुक्त (Unspent) अनुदानों का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "H" में दिया गया है।

6.2 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण/रख रखाव न करना

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार रख-रखाव नहीं किया गया था। इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों से किये गये व्यय का कार्य वार कोई विवरण नहीं दिया गया था जिसके अभाव में किस-2 कार्य पर कितना व्यय किया गया था तथा इस व्यय में कौन-2 से कार्य करवाये गये तथा तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सत्यापना/जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः अनुदान रजिस्टर का उचित प्रकार से रख-रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित प्रकार से रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.3 निर्माण कार्यों को प्रारम्भ न करने के कारण ₹25.30 लाख का अवरोधन

नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 को अनुदान ₹2530576 के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया था। उक्त राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "I" में दिया गया है। अनुदान की यह राशि वर्ष 2001-02 से वर्ष 2016-17 तक विभिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु स्वीकृत हुई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा इन कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः इन कार्यों को प्रारम्भ न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये।

अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उन्हीं उद्देश्य हेतु व्यय किया जाये जिस हेतु इसे प्राप्त किया गया था अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को वापिस किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.4 पर्यटन विभाग द्वारा जारी अनुदान ₹0.47 लाख का 12 वर्षों के उपरान्त उपयोग न करने के कारण वापिस किया जाना

उप निदेशक (पर्यटन) मण्डी बिलासपुर स्थित हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या डी0टी0ओ0/एम0एन0डी0 3-24/2000-1233, दिनांक 1.1.2016 द्वारा नगर परिषद बिलासपुर से अनुरोध किया गया की उनके विभाग द्वारा वर्ष 2004 में ₹47191 की दी गई अनुदान की राशि का नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है इसलिए उक्त राशि को ब्याज सहित उनके कार्यालय को वापिस किया जाये।

नगर परिषद द्वारा उक्त आदेशों की अनुपालना में चैक संख्या 029211 दिनांक 22.1.16 द्वारा उक्त ₹47191 बिना ब्याज के वापिस लौटाई गई। नगर परिषद द्वारा उक्त अनुदान की राशि का पिछले 12 वर्षों तक उपयोग न किया जाना अनियमित ही नहीं बल्कि अत्यन्त आपत्तिजनक भी है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार अनियमितता न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाए।

7 दिनांक 31.3.17 तक ₹85.73 लाख के किराये व उक्त पर देय ब्याज की वसूली शेष

नगर परिषद की दुकानों, बूथों, स्टालों से दिनांक 31.3.2017 तक संलग्न **परिशिष्ट (J)** के अनुसार किराया राशि ₹8572686 की वसूली शेष थी। इस राशि में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ब्याज की राशि ₹4540232 सम्मिलित है। उक्त राशि में ₹4032454 के किराया राशि अंकक्षण अवधि से सम्बन्धित है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा निश्चित समय अवधि के भीतर शेष राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 किराये की बकाया राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.98 लाख का अन्तर

नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.17 तक प्रस्तुत किराये की बकाया राशि की सूचना सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि **परिशिष्ट संख्या "J"** पर किराये की उपलब्ध करवाई गई

किराये की बकाया राशि 1.4.2015 को ₹3781085 दर्शाई गई थी जबकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.13 से 31.3.2015 में बकाया राशि का अन्तिम शेष ₹3682536 दर्शाया गया था। इस प्रकार बकाया शेष किराये में ₹98549 का अन्तर है। उक्त अन्तर को स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 11.12.17 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अन्तर से सम्बन्धित कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः शेष किराये में दर्शाया गया उक्त अन्तर का शीघ्र समाधान किया जाये तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

7.2 ₹79.89 लाख के बकाया किराया, ब्याज की वसूली/दुकानों को खाली करने हेतु कोर्ट में लम्बित मामले

नगर परिषद बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के दौरान किराये व ब्याज के रूप में दिनांक 31.3.2017 को संलग्न परिशिष्ट "K" के अनुसार ₹7989495 की वसूली शेष थी। इस राशि में दुकानों के शेष किराये के रूप में ₹3727793 तथा ब्याज की शेष ₹4261702 सम्मिलित हैं। दिनांक 31.3.2017 को S.D.M. कोर्ट बिलासपुर तथा हार्टकोर्ट शिमला में (8) मामले वसूली हेतु लम्बित है। आवश्यक कार्यवही करने के पश्चात निर्णय से विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 दुकानों व स्टालों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करना

निदेशक शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85 दिनांक 21.2.2001 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किराये पर दी गई दुकानों के किराये में प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त 10% की दर से बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद के द्वारा पिछले कई वर्षों से निम्न दुकानों के किराये में बढ़ौतरी नहीं की गई जिस कारण निम्न दुकानों से बहुत कम किराया वसूल किया जा रहा है जोकि न्यायसंगत नहीं है और इस कारण परिषद को किराये के रूप में वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। अतः किराये में न्यायसंगत बढ़ौतरी न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये।

क्र०सं०	दुकान/स्टाल नं०	दुकानदार नाम	का मासिक किराया	दुकान को किराये पर देने की तिथि
कोर्ट रोड मार्केट				
1	01	परमिंदर कुमार	60	1.5.1995

2	02	छोटा राम	30	1.7.1964
3	03	राम लाल	30	1.9.1978
4	04	गुरदास	30	1.8.1979
5	05	सादिक मुहम्मद	30	1.9.1975
6	06	संजीव कुमार	150	1.4.1990
7	07	पारश राम	30	1.12.1975

डियारा सेक्टर

8	08	इबराहिम मोहम्मद	30	1.1.1976
9	09	गरीब दास	30	1.7.1998
10	10	के०सी० दास	30	1.5.1973
11	11	देवी राम	30	1.5.1973
12	12	जय राम	30	1.7.1964
13	13	देविन्द्र कुमार	30	1.8.1974

हनुमान जी मन्दिर डियारा

14	16	अयशाखान	30	1.7.1977
15	17	राजिन्द्र कुमार	30	1.11.1980
16	18	राजिन्द्र कुमार	30	1.11.1980
17	20	ललित कुमार	30	1.8.1980

शेरा सेक्टर

18	21	गुलाम मोहम्मद	30	1.1.1965
19	22	शिव राम	30	1.1.1976
20	24	सरवन सिंह	30	1.11.1972
21	25	अन्त राम	30	1.1.1975
22	26	नरेन्द्र कुमार	30	1.8.1998
23	27	मदन गोपाल	30	1.4.1978
24	28	साहिब दिन	30	1.5.1969

मीट मार्केट

25	29	जमाल दीन	30	1.7.1994
----	----	----------	----	----------

26	30	कुतुब दीन	30	1.7.1964
27	31	माहा अकरम	30	1.7.1964
28	32	आशा राम	60	1.8.1997
29	33	वीरदीन	80	1.2.1998
कोर्ट रोज मेन मार्केट				
30	02	भुवनेश्वर	70	1.1.1971
31	01	गोपाल कृष्ण	70	1.7.1977
32	03	राम लाल	70	1.12.1976
33	05	चमन लाल	70	1.12.1976
लखनपुर नीयर ब्लॉक आफिस				
34	02	रंजित सिंह	50	1.6.1978
35	03	अश्वनी कुमार	50	1.6.1981

7.4 कामकाजी महिला आवास के किराये की ₹0.50 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

नगर परिषद बिलासपुर द्वारा संचालित कामकाजी महिला आवास के किराये की ₹50383 दिनांक 31.3.17 तक वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्नानुसार है। इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करके परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	नाम	कमरा नं०	दिनांक 31.3.2017 तक बकाया राशि
1	रानी	103	300
2	रंजना देवी	104	300
3	मीना देवी	107	1800
4	सावित्री देवी	108	1500
5	पूनया देवी	109	1685
6	पुष्टि गुप्ता	201	800
7	रेनू वाला	204	800
8	पूनम	202	1600

9	निशा देवी	205	505
10	रीना देवी	206	1000
11	दिपिका	206	1800
12	निशा ठाकुर	207	293
13	मनीषा चौहान	207	800
14	जगजीत कौर	209	800
15	विपाशना शर्मा	210	7200
16	जय भीनल	301	1800
17	आशा रानी	302	900
18	मीरा शर्मा	303	800
19	रीना ठाकुर	304	800
20	सोनिया कुमारी	304	800
21	हिमांनी	305	900
22	शैलजा शर्मा	306	8800
23	संगीता	307	2400
24	ताहिरा अब्दुला	309	2400
25	पूनम कुमारी	310	9600
	योग		₹50383

7.5 विश्राम गृह, रैहन बसेरा व अन्य भवनों के किराये की ₹2.47 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नलवाड़ी मेले के दौरान उपायुक्त कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किये गये परिषद विश्राम गृह, रैहन बसेरा व सामुदायिक भवनों के किराये ₹247100 की वसूली नहीं की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला हर वर्ष 17 मार्च से 23 मार्च तक परिषद के विश्राम गृह, रैहन बसेरा तथा सामुदायिक भवनों को उपायुक्त कार्यालय द्वारा अधिग्रहण किया गया था। इस अवधि के किराया ₹247100 का भुगतान जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा परिषद को नहीं किया गया। परिषद द्वारा इन भवनों के किराये की

वसूली सम्बन्धी कोई भी अभिलेख अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस राशि का विवरण निम्नलिखित था। उपायुक्त कार्यालय से किराये की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि की वसूली तुरन्त जिला प्रशासन बिलासपुर से करके परिषद निधि में जमा करवाये अन्यथा इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	अधिगृहण किये भवनो का विवरण	किराया राशि प्रतिदिन	राशि (₹)	अंकक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 वसूली हेतु राशि
1	रैहन बसेरा 3 कमरे	250x3=750	7x750=5250	2x5250=10500
2	रैहन बसेरा डोरमैटरी (13 बेड)	13x50=650	7x650=4550	2x4550=9100
3	विश्राम गृह (गुरुद्वारा 2 हाल)	6500x2=13000	7x13000=91000	2x91000=182000
4	विश्राम गृह 3 कमरे	250x3=750	7x750=5250	2x5250=10500
5	सामुदायिक भवन	2500 प्रतिदिन	7x2500=17500	2x17500=35000
			कुल राशि	₹247100

7.6 तहबाजारी के टिकटों के स्टॉक रजिस्टर का अनियमित रख-रखाव

तहबाजारी टिकट (फार्म-५) जो की अस्थाई तहबाजारी धारक को विपरित किये जाते है नगर परिषद द्वारा क्रमशः ₹15, ₹20 व ₹25 के मूल्य के प्रिंट करवाये गये थे, को निम्न विवरणानुसार तहबाजारी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

क्र० सं०	दिनांक	जिससे टिकटें प्रिंट करवाई गई	प्रिंट करवाई गई टिकट बुकों की सं०	प्रिंट करवाई गई टिकट बुकों की क्रम सं०	प्रिंट करवाई गई टिकट बुकों के टिकटों का मूल्य (प्रति टिकट) राशि	जारी की गई टिकट सं०	जिसे जारी किया गया	टिप्पणी	स्टॉक रजि० की पृ०सं०
1	5.5.15	मै० ईगल ग्राफिक्स रौड़ा सैक्टर 2 बिलासपुर बिल संख्या 1702 दिनांक 1.7.15	60	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई	60	श्री राज कपिल व० सहायक	स्टॉक रजिस्टर में न तो टिकट बुकों किस मूल्य की थी दर्शाई गई	14

								और न ही टिकट बुकें जो प्रिंट की गई उनका कम संख्या दर्शाया गया	
2	28.12.15	—यथोपरि— संख्या 1754 दिनांक 28.12.15	60	नहीं दर्शाई गई	नहीं दर्शाई गई	60	—यथोपरि—	—यथोपरि—	
3	18.1.16	—यथोपरि— संख्या 1758 दिनांक 8.1.16	30 20	नहीं दर्शाई गई	₹30 प्रति टिकट ₹20 प्रति टिकट	30 20	—यथोपरि—	स्टॉक रजिस्टर में टिकट बुकों की क्रम संख्या नहीं दर्शाया गई	33
4	23.3.16	—यथोपरि— बिल संख्या व दिनांक नहीं दर्शाई गई	60	481 से 540	नहीं दर्शाई गई	60	—यथोपरि—	स्टॉक रजि0 में टिकटें किस मूल्य की प्रिंट करवाई गई नहीं दर्शाया गया	48
5	8.4.16	—यथोपरि— संख्या 1780 दिनांक 7.4.16	30	211 से 240	नहीं दर्शाई गई	30	—यथोपरि—	—यथोपरि—	48
6	7.9.16	—यथोपरि— संख्या 182 दिनांक 1.9.16	60 30	001 से 60 1 से 30	₹20 प्रति टिकट ₹25 प्रति टिकट	60 30	—यथोपरि—	टिकटें आगामी क्रम संख्या की प्रिंट न करवाकर पुनः 001 से आरम्भ की गई	61
7	1.12.16	—यथोपरि— संख्या 1845 दिनांक 1.12.16	60 30	नहीं दर्शाई गई नहीं दर्शाई गई	₹20 प्रति टिकट ₹30 प्रति टिकट	60 30	—यथोपरि—	स्टॉक रजिस्टर में टिकट बुकों की क्रम संख्या नहीं दर्शाई गई	61
8	20.2.17	—यथोपरि— संख्या 1852 दिनांक 20.2.16	30	नहीं दर्शाई गई	₹25 प्रति टिकट	30	—यथोपरि—	—यथोपरि—	61
9	22.7.17	—यथोपरि— संख्या 1865 दिनांक 27.2.17	60	नहीं दर्शाई गई	₹20 प्रति टिकट	60	—यथोपरि—	—यथोपरि—	

उपरोक्त स्टॉक रजिस्टर की जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएँ पाई गई

(1) नगर परिषद द्वारा ₹15, ₹20 व ₹25 के मूल्य की तहबाजारी टिकटें स्टॉक रजिस्टर के अलग-2 पृष्ठों पर दर्ज न करके एक ही पृष्ठ पर एक साथ दर्ज की गई थी जिससे किस मूल्य की कितनी टिकटें प्रिंट की गई यह ज्ञात नहीं होता है जिससे टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि में अनियमितता की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है।

(2) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 3, 7, 8 व 9 पर दर्शाई गई टिकटों की क्रम संख्या स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई और न ही इनका मूल्य ही स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त टिकटें किस क्रम संख्या की कितनी प्रिंट करवाई गई और उनकी बिक्री से वास्तव में कितनी राशि प्राप्त होनी थी और कितनी प्राप्त हुई और कितनी टिकटें शेष अनुपयुक्त है।

(3) उपरोक्त क्रम संख्या 6 पर ₹30 की टिकटें आगामी क्रम संख्या 211 से 240 के क्रम में प्रिंट न करवा करके पुनः क्रम संख्या 1 से 30 तक प्रिंट करवाई गई थी। इस प्रकार बार-2 एक ही क्रम संख्या की टिकटें प्रिंट करवाने के कारण टिकटों के रख रखाव में असुविधा होने के साथ-2 टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशियों में त्रुटियों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तहबाजारी के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न किये जाने बारे नगर परिषद से अंकेक्षण अध्याचना संख्या 4 दिनांक 27.10.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतियुत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में अलग-2 मूल्यों की तहबाजारी टिकटों को स्टॉक रजिस्टर के अलग-2 पृष्ठों पर क्रम संख्यानुसार दर्ज किया जाये तथा उपयोग हुई व शेष टिकटें भी स्टॉक रजिस्टर में क्रम अनुसार ही दर्शाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि टिकटों की बिक्री से प्राप्त आय की जाँच व रख रखाव में सुविधा होने के साथ अनियमितता की सम्भावना न रहे।

7.7 नगर परिषद बिलासपुर द्वारा गृहकर की वसूली न करने बारे

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानानुसार व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषदों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके दायरे में पड़ने वाले/सीमा में स्थित भवनों से गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिषद द्वारा गृहकर की वसूली नहीं की जा रही है। नियमों के अनुसार गृहकर की वसूली न करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर परिषद की आय का मुख्य स्रोत है तथा इसकी वसूली न करने के कारण परिषद को लगातार हानि हो रही है।

7.8 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹4.95 लाख की वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अभिलेख की जाँच करने पर यह पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईयशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV (IT) 2005 (Misc.) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹494750 दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल हेतु शेष थी, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट "L" में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि को विभिन्न कम्पनियों से शीघ्र वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में राशि जमा करवाई जाए। तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग कोभी अवगत करवाया जाये।

7.9 बिजली शुल्क

शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एलएसएचडी (1)–9/94–खण्ड–II दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के भीतर बिजली की खपत पर दिनांक 1.1.2001 से एक पैसा प्रति यूनिट को विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को दिया जाना अपेक्षित था। विद्युत बोर्ड के द्वारा नगर परिषद को इस प्रकार देय राशि को समायोजन स्ट्रीट लाईटों के बिलों के विरुद्ध पत्र संख्या ESD No. –II/SL/2015-16-2297-98, दिनांक 6.2.2016 को ₹393408 व पत्र संख्या BES-11/SL/2016-17-1887-90 दिनांक 16.1.17 ₹195347 से किया गया। बिजली शुल्क प्राप्ति के लेखों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बिलासपुर द्वारा देय राशि का न तो समय पर भुगतान किया गया और न ही नगर परिषद परिक्षेत्र में बिजली की खपत का विवरण वर्षवार उपलब्ध करवाया गया, जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को होने वाली आय की सही होने की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा सम्भव नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के लिए अपेक्षित पूर्ण विवरण के साथ-साथ वर्ष 2015–16 व 2016–17 में की गई बिजली की कुल खपत प्रति यूनिट के दर से जानकारी हेतु अविलम्ब पत्राचार करके जानकारी प्राप्त कर सही राशि की सत्यापना हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त बिजली शुल्क की प्राप्ति व समायोजन का विवरण निम्न प्रकार से है:—

पत्र सं० जिस द्वारा बिजली शुल्क की राशि प्राप्त व समायोजित की गई	अवधि जिसका बिजली शुल्क प्राप्त किया गया	प्राप्त/समायोजित राशि
No. ESD No. 11/SL-3/2016-16-2297-98 दिनांक 6.2.16	11/13 से 12/15	393408
No. DES-11/Street Light/2016-17-1887-90 दिनांक 16.1.17	1/16 से 12/16	195347

7.10 वित्तीय वर्ष 2015—16 व 2016—17 के देय मदिरा शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष व प्राप्त मदिरा शुल्क से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करना

नगर परिषद के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार (परिशिष्ट "M") अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक ₹1723205 की आय प्राप्त हुई थी। परन्तु नगर परिषद परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के अपेक्षित पूर्ण विवरण के साथ—2 वर्ष 2015—16 व 2016—17 में बेची गई कुल बोतलों की संख्या की जानकारी हेतु अभिलेख पत्राचार करके देय शुल्क के सत्यापना हेतु उक्त विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 स्थापना पर ₹135.98 लाख का अनाधिकृत व्यय

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) में वर्णित प्रावधानों तथा निदेशक शहरी विकास विभाग के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच (ए) 1/87/9237—84 दिनांक 20.6.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित किया गया है, परन्तु नगर परिषद बिलासपुर द्वारा उपरोक्त व्यय की निर्धारित सीमा से निम्नानुसार ₹13598345 का अधिक व्यय किया गया है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अनियमित स्थापना व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्थापना व्यय को नियमानुसार नियन्त्रित किया जाए।

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित 1/3 rd स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय	अधिक व्यय की राशि
2015-16	31617376	10539125	18171689	7632564
2016-17	36875072	12291691	18257472	5965781
	कुल योग			₹13598345

9 (क) श्री कर्मवीर, सेनेटरी जमादार का वेतन गलत निर्धारित करने के कारण ₹3.57 लाख का अधिक भुगतान किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B) (7)-11/87-V-141-190 दिनांक 1.4.2015 के अनुसार श्री कर्मवीर सेनेटरी जमादार का वेतन ₹4900-10680+1650 के वेतनमान में निम्नविवरणानुसार निर्धारित किया गया।

वेतनमान	4900-10680+1650		
	BP	GP	BP+GP
27.8.09 को वेतन	9120	1650	10770
दिनांक 27.8.09 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर निर्धारित वेतन (8 वर्ष उपरान्त ACPS 14.8.2008 को पूर्व में दी दी गई थी	9120	1650	10770
दिनांक 27.8.09 को 9 वर्ष के सेवाकाल पूर्ण करने पर निर्धारित वेतन (16 वर्ष उपरान्त ACPS दिनांक 13.9.2004 को पूर्व में दी दी गई	9120	1800	10920
दिनांक 27.8.09 को 14 वर्ष के सेवाकाल उपरान्त वेतनमान 5910-20200+1900 G.P. में निर्धारित वेतन	9450	1900	11350
दिनांक 1.9.10 को वेतन	11690	1900	13590
1.9.11	12100	1900	14000
20 वर्ष के सेवाकाल उपरान्त Spl.increment	12520	1900	14420
1.9.12	12960	1900	14860

1.9.13	13410	1900	15310
1.9.14	13870	1900	15770
1.9.15	14350	1900	16250
1.9.16	14840	1900	16740
1.9.17	15350	1900	17250

श्री कर्मवीर सनेटरी जमादार का उपरोक्त वेतन दिनांक 1.9.2010 को 10690+1900 गलत निर्धारित किया गया जबकि वेतन 9790+1900 निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार दिनांक 1.9.2010 के पश्चात वेतन निम्न विवरणानुसार निर्धारित किया जाना था:-

1.9.10	B.P.	G.P.	B.P.+G.P.
Pay as on 1.9.10	9790	1900	11690
1.9.11	10140	1900	12040
Spl.increment after 20 years of service as on	10510	1900	12410
1.8.12			
1.9.12	10890	1900	12790
1.9.13	11280	1900	13180
1.9.14	11680	1900	13580
1.9.15	12090	1900	13990
1.9.16	12510	1900	14410
1.9.17	12950	1900	14850

इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक 1.9.10 से 31.11.17 तक गलत वेतन निर्धारित करने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹365586 का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 11.12.17 द्वारा नगर परिषद से इस सम्बन्ध में उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने का अनुरोध किया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त सन्दर्भ में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण प्रकरण की पुनः नियमानुसार जाँच करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

अवधि	वेतन आहरित	वेतन देय	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान		
1.9.10 से 31.12.10	13590	11690	1900	855	45%	2755x4	11020
1.1.11 से 30.6.11	13590	11690	1900	969	51%	2869x6	17214
1.7.11 से 31.8.11	13590	11690	1900	1102	58%	3002x2	6004
1.9.11 से 31.12.11	14000	12040	1960	1136	58%	3096x4	12387
1.1.12 से 30.6.12	14000	12040	1960	1274	65%	3234x6	19404
1.7.12 से 31.7.12	14000	12040	1960	1411	72%	3371x1	3371
1.8.12 से 31.8.12	14420	12410	2010	1447	72%	3457x1	3457
1.9.12 से 31.12.12	14860	12790	2070	1490	72%	3560x4	14240
1.1.13 से 30.6.13	14860	12790	2070	1656	80%	3726x6	22356
1.7.13 से 31.8.13	14860	12790	2070	1863	90%	3933x2	7866
1.9.13 से 31.12.13	15310	13180	2130	1917	90%	4047x4	16188
1.1.14 से 30.6.14	15310	13180	2130	2130	100%	4260x6	25560
1.7.14 से 31.8.14	15310	13180	2130	2279	107%	4409x2	8818
1.9.14 से	15770	13580	2190	2343	107%	4533x4	18132

31.12.14							
1.1.15 से	15770	13580	2190	2475	113%	4665x6	27990
30.6.15							
1.7.15 से	15770	13580	2190	2606	119%	4796x2	9592
31.8.15							
1.9.15 से	16250	13990	2260	2689	119%	4949x4	19796
31.12.15							
1.1.16 से	1250	13990	2260	2825	125%	5085x6	30510
30.6.16							
1.7.16 से	16250	13990	2260	2870	127%	5130x2	10260
31.8.16							
1.9.16 से	16740	14410	2330	2959	127%	5289x4	21156
31.12.16							
1.1.17 से	16740	14410	2330	3029	130%	5359x6	2154
30.6.17							
1.7.17 से	16740	14410	2330	3192	137%	5522x2	11044
31.8.17							
1.9.17 से	17250	14850	2400	3288	137%	5688x3	17064
31.11.17							
योग							₹365586

(ख) श्री शेर सिंह, मिस्त्री का गलत वेतन निर्धारण करना:-

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(B)(7)-11/87-V-141-190 दिनांक 1.4.2015 के अनुसार श्री शेर सिंह, मिस्त्री का वेतन Assured Career progression scheme के अन्तर्गत 4-9-14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर सेवा पंजिका में की गई प्रविष्टि के अनुसार उसका वेतन दिनांक 27.8.09 को $(7920+1950)=9870$ दर्शाया गया था जबकि सेवा पंजिका में दिनांक 1.6.2009 को उसका वेतन $(8220+1950)=10170$ निर्धारित था। इस प्रकार उसका वेतन दिनांक 27.8.09 को 10170 के स्थान पर 9870 गलत निर्धारित किया गया प्रतीत होता

होता है जिसकी पुनः नियमानुसार जाँच की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) वेतन वृद्धि के अनियमित भुगतान के कारण ₹60 का अधिक भुगतान:—

श्रीमति मीना कुमारी लिपिक को निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0—एच (बी) (2)—2/2011—8661—84 दिनांक 1.12.2014 द्वारा लिपिक के पद पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया गया। श्रीमती मीना कुमारी द्वारा उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में दिनांक 9.12.2014 को कार्य ग्रहण/उपस्थिति सूचना प्रस्तुत की गई। उपरोक्त नियुक्ति के आदेशों के अनुसार अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारी को कार्य ग्रहण के एक कार्य उपरान्त वेतन वृद्धि देय है। परन्तु उक्त कर्मचारी को 9.12.2015 के स्थान पर 1.12.2015 से वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अवधि 1.1.15 से 8.12.2015 तक निम्न विवरणानुसार ₹60 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये।

अवधि	आहरित वेतन	देय वेतन	अन्तर/अधिक भुगतान
1.12.15 से 8.12.15	1525+490+60=2075	1525+490=2015	60

10 लेड लाईट (Led Light) लागत ₹3.72 लाख के क्रय में पाई गई अनियमितताएँ

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0ए0 (3) 2/96/—11 दिनांक 4.11.2006 द्वारा अधिसूचित उप नियमों में उप नियम 40 व 48 के अन्तर्गत दिए गये अनुदेशों के अनुरूप म्यूनिसिपल इन्जीनियर रोड लाईट/स्ट्रीट लाईट के उचित संचालन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा तथा लेखा शाखा द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। जब तक बिल म्यूनिसिपल इन्जीनियर/हेल्थ अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं होगा। नगर परिषद द्वारा लेड लाईटों का क्रय निम्नविवरणानुसार मै0 पटियाल एग्रोटेक एंड प्लांट्स को उनके बिल संख्या 72 दिनांक 9.12.15 द्वारा न्यूनतम निविदाओं के आधार पर किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:—

क्र0सं0	क्रय का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	एस0एस0के0एस0के0—45W-6500K	20	5000	100000
2	एस0एस0के0एस0टी0—45W-6500K	80	3409	272720
योग				₹372720

(1) नगर परिषद के पत्र संख्या एम0सी0पी0/कोटेशन/2015, दिनांक 6.10.2015 द्वारा उपरोक्त लेड लाईटें (Syska Make) के क्रय हेतु सम्बन्धित फर्मों से निविदाएँ आमन्त्रित की गई तथा इस की प्रतिलिपि दिव्या हिमाचल समाचार पत्र को भी प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई परन्तु समाचार पत्र जिसमें उक्त टेन्डर प्रकाशित किया गया था, अंकक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में उक्त टेन्डर समाचार पत्र में प्रकाशित/विज्ञापित किया गया था। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) खरीदी गई लेड लाईटों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में बिल व निविदायें म्यूनिसिपल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं हैं, जिसका सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी से सत्यापन करवाकर अनुपालना आगामी अंकक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹28.97 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन व भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल वर्क्स नियम 3 (1) जो शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या यू0डी0ए0 (3) 5/2007 दिनांक 23.8.2010 द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, के अनुरूप नगर परिषद को 5 लाख तक के निर्माण कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया गया है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत ₹5 लाख से अधिक करवाये गये निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निदेशक शहरी विकास से प्राप्त की जानी अपेक्षित है। नगर परिषद बिलासपुर द्वारा निम्नानुसार करवाये गये निर्माण कार्यों में निदेशक शहरी विकास की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में गत अंकक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यों के निष्पादन का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकक्षण में बताई जानी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार के कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	MB No. व पृष्ठ सं0	ठेकेदार का नाम व एवार्ड पत्र सं0	स्त्रोत	निर्माण कार्य में व्यय की गई राशि
1	वार्ड नं0 2 में नडडा व आचार्य	145 पृ0 39 से	श्री राम लाल चौधरी एवार्ड पत्र सं0	13 th Finance Commission	557620

	के घर के समीप ड्रेन का निर्माण	44	एम0सी0वी0 / डी0ई0बी0- 1383-85 दिनांक 24.9.12		
2	वार्ड नं0 7 में चेतना प्रिंटिंग प्रेस से बचपन स्कूल तक ड्रेन का निर्माण कार्य	145 पृ0 5 से 6	श्री प्रेम लाल एवार्ड पत्र संख्या 598-99 दिनांक 25.4.12	13 th Finance Commission	509284
3	वार्ड संख्या 7 में हाऊसिंग बोर्ड के समीप पार्किंग का निर्माण कार्य	145 पृ0 88 से 90	श्री गौरव सिंह एवार्ड पत्र संख्या 486-87 दिनांक 28.3.11	H.P. Tourisum	595830
4	वार्ड नं0 रौडा सैक्टर डिसपेन्सरी के समीप Drain का निर्माण कार्य	147 पृ0 52 से 54	श्री प्रदीप कुमार पत्र संख्या 247-49 दिनांक 20.2.13	13 th Finance Commission	593534
5	वार्ड नं0 2 में श्री मनोरथ मेहता के हाऊस के समीप सड़क व गली की रिपेयर का कार्य	154 पृ0 21 से 31	श्री राजेश महाजन पत्र संख्या 1528-31 दिनांक 19.7.16	13 th Finance Commission	640903
				योग	2897171

12 निर्माण कार्यों में ₹7.25 लाख की विचलन (Deviation) राशि का सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भुगतान

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों को ठेकेदारों द्वारा आबंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण किया गया था, परन्तु आबंटित राशि से अधिक राशि के भुगतान की विचलन विवरणी (Deviation Statement) हिमाचल प्रदेश पालिका संहिता, 1975 के नियम 1892 (बी) (3) के अनुसार कार्य पूर्ण करने से पूर्व मूल प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन निर्धारित प्रपत्र पर करके सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं

करवाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्माण कार्यों को आबंटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण करने के कारण हुई विचलता (deviation) को सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार के कार्यों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "N" पर दिया गया है।

13 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹0.34 लाख के दण्ड शुल्क की वसूली न करना

ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय अवधि में निम्न वर्णित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दण्ड शुल्क की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु समय अवधि की बढ़ौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा नियमानुसार ₹34190 के दण्ड शुल्क की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके नगर परिषद खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

चलत बिल सं०	कार्य का नाम	कार्य आबंटन राशि	अनुबन्ध सं०	ठेकेदार का नाम	माप पुस्तिका व पृ० सं०	कार्य आबंटन पत्र सं०	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	10% की दर से दण्ड की वसूली योग्य राशि
1 st & Fixed bill	Dev. of Park in ward No. 7 in HB colony, Phase-11, Bilaspur H.P.	64452	1134-36 दिनांक 8.6.16	श्री प्रेम लाल	151 पृ० 183 से 187	1134-36 दि० 8.6.16	एक माह	23.7.16	30.8.16	38 दिन	6445
1 st & fixed Bill	R & M/O Path from Chopra House up to H/O Rajeev in W.No. 8 Bilaspur	53382	1140-42 दिनांक 8.6.16	श्री विनय कोडल	152 पृ० 167 से 171	1140. 42दि० 8.6.16	एक माह	30.7.16	30.11.16	4 माह	5338
1 st & fixed	R/R of Path	224073	2196-98 दिनांक	श्री भारत	154 पृ० 32	2196-98 दि०	दो माह	10.12.16	30.1.17	51 दिन	22407

Bill	street from Raj Kumar House towards nullah ka naun w.no. 10 dhalra Bilaspur		26.9.16	कुमार	से 44	26.9.16					
										योग	34190

14 पार्किंग का निर्माण कार्य 5 वर्ष उपरान्त भी पूर्ण न किया जाना

पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर में पार्किंग के निर्माण हेतु जिला पर्यटन अधिकारी मण्डी से चैक संख्या 47700655 दिनांक 31.3.2012 द्वारा ₹75 लाख प्राप्त की गई थी। उक्त पार्किंग का निर्माण बिलासपुर में गुरुद्वारा के समीप करने हेतु ₹75 लाख अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण मण्डल नं०-1 बिलासपुर के कार्यालय में चैक संख्या 476889 दिनांक 5.6.12 को जमा किये गये उक्त निर्माण कार्य तीन माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु उक्त कार्य 5 वर्षों के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के द्वारा भी उक्त पार्किंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 12.12.17 द्वारा उक्त प्रकरण नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। नगर परिषद द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभाग से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रस्तावित उपरोक्त निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु लोक निर्माण विभाग से प्रकरण उठाया जाये ताकि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नगर परिषद को पार्किंग फीस के रूप में आय की प्राप्ति हो सके।

15 पार्किंग का निर्माण योजना अनुसार उचित स्थानों पर न करने के कारण पार्किंग निर्माण कार्यों पर ₹17.24 का निष्फल व्यय

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15 के अनुसार नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर पार्किंग का निर्माण करवा करके लोगों को पार्किंग की सुविधा दी गई थी। इन पार्किंग के निर्माण कार्यों पर 31.3.15 तक ₹1723798 का व्यय किया गया था, परन्तु इन पार्किंगों की नीलामी न करने/किराये पर न देने के कारण इनसे शुल्क की वसूली नहीं की गई थी तथा गत अंकेक्षण के उक्त पैरे में इन पार्किंगों को शीघ्र किराये पर देने/फीस प्राप्त करने हेतु

समुचित कदम उठाने का सुझाव दिया गया था। परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त पार्किंगों को किराये पर देने/फीस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बताया गया कि इन पार्किंगों को कुछ लोगों द्वारा पार्किंग हेतु प्रयोग तो किया जा रहा है परन्तु उनसे फीस की वसूली नहीं की जा रही है। अतः लोगों से पार्किंग सुविधा के बदले फीस की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन पार्किंगों की सुविधा प्राप्त कर रहे लोगों से निर्धारित दरों पर फीस प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर परिषद को उक्त पार्किंग स्थलों से आय की प्राप्ति हो सके। इन पार्किंग स्थलों को पिछले कई वर्षों से नीलामी न करने/किराये पर न देने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन पार्किंगों का निर्माण योजना अनुसार उचित/उपयुक्त स्थानों पर नहीं किया गया जिस कारण इन पार्किंगों की नीलामी/किराये पर लेने के लिए बोलीदाता/फर्म इच्छुक नहीं है। इस प्रकार इन पार्किंगों का निर्माण योजना अनुसार उचित व उपयुक्त स्थानों पर न करने के कारण इनके निर्माण पर किया गया ₹1723798 का व्यय निष्फल हो गया है। अतः इन पार्किंगों का निर्माण उचित/उपयुक्त स्थानों पर न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	निर्माण किये गये पार्किंग स्थल का नाम	कुल व्यय राशि
1	लखनपुर बिलासपुर बी०डी०ओ० कार्यालय के समीप पार्किंग का निर्माण	463275
2	रोडा-2 श्री प्रेम लाल के घर की समीप पार्किंग का निर्माण	502689
3	रोडा सेक्टर जिला बिलासपुर में लकड़ी के डिपो के पास पार्किंग का निर्माण	162004
4	हाऊसिंग बोर्ड कलौनी वार्ड नं० 7 में पार्किंग का निर्माण	595830
योग		₹1723798

16 समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों के लिए रजिस्टर का रख रखाव न किया जाना

अंकक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये परन्तु इन विज्ञापनों की प्रविष्टि किसी भी रजिस्टर/अभिलेख में नहीं की गई जिस कारण विज्ञापनों के भुगतान में अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि विज्ञापन रजिस्टर के अभाव में अंकक्षण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन विज्ञापनों का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया था। इस प्रकार भुगतानों में दोहरे भुगतान की

सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में विज्ञापनों हेतु एक पृथक रजिस्टर का रख रखाव किया जाये जिसमें समय-2 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन को दर्ज किया जाये ताकि भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे:-

भुगतान की दिनांक व चैक सं०	जिस समाचार पत्र को भुगतान किया गया	विज्ञापन संख्या व दिनांक	राशि	विज्ञापन का प्रयोजन
795901 / 2.3.17	साप्ताहिक गिरीराज	2847 / 28.12.16	30109	Tender Notice
—यथोपरि—	—यथोपरि—	2854—60 / 28.12.16	5805	E-Procurement notice
795902 / 2.3.17	दिव्य हिमाचल	बिल सं० 16028229 / 9.2.17	2956	Tender Notice

17 वाहन की औसत ईंधन खपत का निर्धारण न करना

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक परिषद की विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुकों की जाँच पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम प्राधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया, जबकि नियमानुसार यह प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। परिषद की वाहनों के औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अगर निर्धारित औसत खपत से कम पाई जाए तो इसकी विभागीय गणना करके उचित स्त्रोत से वसूली की जाये। तदनुसार अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

18 परिषद के वाहन के मुरम्मत कार्य में डीजल की असामान्य खपत दर्शाने बारे

नगर परिषद बिलासपुर के वाहन संख्या एच०पी०-24-7117 की लॉग बुक की जाँच में पाया गया कि माह 08/2015 में वाहन के ईंजन की मुरम्मत करवाई गई जिसके लिए 10 लीटर डीजल की खपत लॉग बुक के पेज नं० 60 में दर्ज दर्शाई गई, जबकि माह 04/2016 को लॉग बुक पेज नं० 8 के अनुसार तेल की मासिक खपत विवरणी में वाहन के मुरम्मत कार्य हेतु 30 लीटर डीजल खपत दर्शाई गई। अतः इस प्रकार ईंजन की मुरम्मत के लिए 20 लीटर (30-10) डीजल अधिक दर्शाया गया। अतः 20 लीटर अधिक डीजल खपत दर्शाने का औचित्य

स्पष्ट करें अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/वाहन चालक से 20 लीटर डीजल का बाजारी मूल्य के अनुसार वसूली करें तथा परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित करें।

19 लघु आपति विवरणिका:—इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

20 निष्कर्ष:— अनुदान रजिस्टर के उचित रख-रखाव व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/’
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:(V)(36)/2012फिन(एल0ए0)खण्ड-2-4361-4362दिनांक,15.06.2018
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत** (1) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।
- (2) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट "A"

पैरा सं० 1 (ग) से सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त शेष पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1959 से 03/1960 तक

1	पैरा-9	अनिर्णीत
---	--------	----------

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1971 से 03/1972 तक

1	पैरा-1	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1974 तक

1	पैरा-1 से 23	अनिर्णीत
---	--------------	----------

(घ) सहायक परीक्षक की दिनांक 03.12.1976 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा-7	अनिर्णीत
2	पैरा-8 (बी) (2)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1974 से 03/1979 तक

1	पैरा-8 (2) (बी) (7)	अनिर्णीत
2	पैरा-11	अनिर्णीत
3	पैरा-12 (ए) 7 से (ए) (8)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1979 से 03/1981 तक

1	पैरा-3 (बी) (1) 3(बी) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा-3 (सी) (2)	अनिर्णीत

3	पैरा-5	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (ए) (2) 5	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा-10 (1)व (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत
8	पैरा-12 (3) 12 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (ए) 13 (ई)	अनिर्णीत
10	पैरा-13 (एच) व 13 (आई)	अनिर्णीत
11	पैरा-15 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा-15 (4) (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा-15 (4) (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा-15 (7)	अनिर्णीत
15	पैरा-15 (10)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1983 तक

1	पैरा-5 (ए) (1) (ए) 8	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (1) से 6 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा-10 (1) से 10 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (डी) (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा-12	अनिर्णीत
6	पैरा-15 (7)	निर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1984 तक

1	पैरा-5 (1) 5 (8)	अनिर्णीत
2	पैरा-9 (7) 9 (8) (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा-12 (6) 7 (ii)	निर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985 तक

1	पैरा-5 (1) 5 (6)	अनिर्णीत
---	------------------	----------

2	पैरा-10 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा-13 (डी)	अनिर्णीत
4	पैरा-14 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा-14 (1) व 14 (2) 14 (एल)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986 तक

1	पैरा-3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (ए) से (आई)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (7, 9, 10)	अनिर्णीत
4	पैरा-16 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा-17 (बी) व 17 (डी)	अनिर्णीत
6	पैरा-18 (ए) व (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा-20 (बी) (सी) (ई) (एफ) (जी)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987 तक

1	पैरा-3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (बी) 5 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा-6, 7, 9 व 10	अनिर्णीत
4	पैरा-11 (1), 11(2), 11(5), 11(6), 11 (8), 11 (9), 11 (11), 11 (12), 11 (14), 11 (17), 11 (20), 11 (21), 11 (23) से 11 (30) तक	अनिर्णीत
5	पैरा-12, 13, 14	अनिर्णीत
6	पैरा-15 (ए) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा-15 (ए) (6 से 15)	अनिर्णीत
8	पैरा-15 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा-16 से 19 तक	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989 तक

1	पैरा-7	अनिर्णीत
---	--------	----------

2	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-9 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (क), 11 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा-12	अनिर्णीत
7	पैरा-13 (1) (ए)	आंशिक निर्णीत
8	पैरा-13 (1) (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-14 (3) से (5)	अनिर्णीत
11	पैरा-15	अनिर्णीत
12	पैरा-16 (3) से 21	अनिर्णीत
13	पैरा-17, 18, 19	अनिर्णीत
14	पैरा-20 (1) व 20 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा-20 (3) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा-20 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा-21 व 22	अनिर्णीत
18	पैरा-23 (1 से 3)	अनिर्णीत
19	पैरा-24	अनिर्णीत
20	पैरा-25 (1) व 25 (3)	अनिर्णीत
21	पैरा-26	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 03/1994 तक

1	पैरा-3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (ख) से (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा-9, 10, 11	अनिर्णीत
5	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा-14 (क से ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-17, 18, 19, 22, 23	अनिर्णीत

8	पैरा-25 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा-28 (क से ख)	अनिर्णीत
10	पैरा-29 (ख, ग)	अनिर्णीत
11	पैरा-34 (क से ग)	अनिर्णीत
12	पैरा-35 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा-36 (क) 36 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-39	अनिर्णीत
15	पैरा-40 (क) से (घ)	अनिर्णीत
16	पैरा-41, 42, 43 व 44	अनिर्णीत
17	पैरा-45 (क) व 45 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा-46, 47, 48 (क से ग) 49 से 51, 52 (क से ग) 53 से 55	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997 तक

1	पैरा-3 (ग) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-6 व 7	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (1) से 8 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा-11 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
6	पैरा-12 (क से ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-12 (ज)	अनिर्णीत
8	पैरा-13 (क, ख)	अनिर्णीत
9	पैरा-13 (ड) से (छ)	अनिर्णीत
10	पैरा-13 (ज) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा-13 (झ)	अनिर्णीत
12	पैरा-13 (ञ) (1) से (11)	अनिर्णीत
13	पैरा-13 (ट) से (फ)	अनिर्णीत
14	पैरा-13 (व) (i) से (v)	अनिर्णीत
15	पैरा-13 (भ) से (क्ष)	अनिर्णीत

16	पैरा-14 (i) से (ii)	अनिर्णीत
(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2004 तक		
1	पैरा-3 (ग) 1 (क) से (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा-3 (ग) 2 (क) से (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा-3 (ग) (3 से 7)	अनिर्णीत
4	पैरा-3 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (ख) से 6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (च) से 6 (ज)	अनिर्णीत
7	पैरा-7 (क) से 7 (च)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (ख) से (म)	अनिर्णीत
9	पैरा-9, 10, 11	अनिर्णीत
10	पैरा-12 (क) से 12 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा-12 (ट)	अनिर्णीत
12	पैरा-12 (ढ) से 12 (ध)	अनिर्णीत
13	पैरा-13 (ख) से (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा-13 (ङ) (छ) से (झ)	अनिर्णीत
15	पैरा-14 (क) (1) से (15)	अनिर्णीत
16	पैरा-14 (ख) से (ङ)	अनिर्णीत
17	पैरा-14 (ज) (1 से 5)	अनिर्णीत
18	पैरा-14 (झ)	अनिर्णीत
19	पैरा-14 (ञ) (1 से 4)	अनिर्णीत
20	पैरा-14 (ट) (1 से 3)	अनिर्णीत
21	पैरा-14 (ड) 1, 2	अनिर्णीत
22	पैरा-14 (ढ) 1, 2 (ण, त, थ) (1 व 2), द, ध, (1 से 3), न (1, 2) प, फ(1, 2) ब (1 से 3) भ (1 से 3) म (1 से 3) य (1 से 4) र, ल, व	अनिर्णीत
23	पैरा-16 (क) से 16 (ढ)	अनिर्णीत
24	पैरा-17 (क) 17 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा-17 (ग) (2) से (ग) (4)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007 तक

1	पैरा-2	अनिर्णीत	
2	पैरा-3	अनिर्णीत	
3	पैरा-4 (i से vii)	अनिर्णीत	
4	पैरा-4 (viii)	निर्णीत	(₹130 की चैक संख्या 143484 वसूली उपरान्त दिनांक 1.12.17 द्वारा)
5	पैरा-4 (ix)	निर्णीत	(₹620 की वसूली चैक संख्या 143484 से करने उपरान्त दिनांक 1.12.17)
6	पैरा-4 (x)	अनिर्णीत	
7	पैरा-4 (xi)	निर्णीत	(₹940 की वसूली चैक संख्या 143484 दिनांक 1.12.17 से करने उपरान्त)
8	पैरा-4 (xii)	अनिर्णीत	
9	पैरा-4 (xiii)	अनिर्णीत	
10	पैरा-4 (xiv)	निर्णीत	(₹100 की वसूली चैक संख्या 143484 दिनांक 1.12.17 से वसूली उपरान्त)
11	पैरा-4 (xv)	अनिर्णीत	
12	पैरा-4 (xvi)	अनिर्णीत	
13	पैरा-4 (xvii)	अनिर्णीत	
14	पैरा-4 (xviii)	अनिर्णीत	
15	पैरा-4 (xix)	निर्णीत	(पैरा आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है)
16	पैरा-5 (i) व (ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा-5 (iii)	निर्णीत	(₹3000 की चैक संख्या 143484 दिनांक 1.12.17 द्वारा वसूली उपरान्त)
18	पैरा-5 (iv) से (vi)	अनिर्णीत	
19	पैरा-5 (vii)	निर्णीत	(₹1916 की चैक संख्या 143484 दिनांक 1.

12.17 द्वारा वसूली उपरान्त)

20 पैरा-5 (viii) निर्णीत (₹750 की चैक संख्या 143484 दिनांक 1.

12.17 द्वारा वसूली उपरान्त)

21 पैरा-5 (ix) अनिर्णीत

22 पैरा-6 अनिर्णीत

23 पैरा-7 अनिर्णीत

24 पैरा-8 अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2009 तक

1 पैरा-2 (ए) (बी) अनिर्णीत

2 पैरा-3 (ii) अनिर्णीत

3 पैरा-4 (ii)(ख) अनिर्णीत

4 पैरा-4 (क)(iv) अनिर्णीत

5 पैरा-5 (बी) (क) अनिर्णीत

6 पैरा-6 (i) अनिर्णीत

7 पैरा-6 (ii) अनिर्णीत

8 पैरा-6 (iii) (क) अनिर्णीत

9 पैरा-6 (iii) (ख) अनिर्णीत

10 पैरा-7 (i) अनिर्णीत

11 पैरा-7 (ii) (क) अनिर्णीत

12 पैरा-7 (ii) (ख) अनिर्णीत

13 पैरा-7 (iii) अनिर्णीत

14 पैरा-7 (iv) (क) अनिर्णीत

15 पैरा-7 (iv) (ख) अनिर्णीत

16 पैरा-7 (iv) (ग) अनिर्णीत

17 पैरा-7 (iv) (घ) अनिर्णीत

18 पैरा-7 (v) (क) अनिर्णीत

19 पैरा-7 (vi) (क) (i) अनिर्णीत

20 पैरा-7 (vi) (ii) अनिर्णीत

21 पैरा-7 (vi) (ख) (i, ii) अनिर्णीत

22	पैरा-7 (vi) (ग)	अनिर्णीत
23	पैरा-7 (vi) (घ) (i, ii, iii)	अनिर्णीत
24	पैरा-7 (vii)	अनिर्णीत
25	पैरा-8	अनिर्णीत
26	पैरा-10	अनिर्णीत
27	पैरा-11	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.09 से 31.03.2011 तक

1	पैरा-5.1	अनिर्णीत
2	पैरा-5.2	अनिर्णीत
3	पैरा-5.4	अनिर्णीत
4	पैरा-6.2	अनिर्णीत
5	पैरा-6.3	अनिर्णीत
6	पैरा-6.4.1	अनिर्णीत
7	पैरा-6.4.2	अनिर्णीत
8	पैरा-7.1	निर्णीत (₹371 की वसूली जी8 नं0 250/27 दिनांक 24.11.17 द्वारा करने के उपरान्त)
9	पैरा-9	अनिर्णीत
10	पैरा-9.1	अनिर्णीत
11	पैरा-9.2	अनिर्णीत
12	पैरा-9.3	अनिर्णीत
13	पैरा-9.4 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा-9.5	अनिर्णीत
15	पैरा-9.6	अनिर्णीत
16	पैरा-10	निर्णीत (₹1311 की वसूली जी8 नं0 250/25 दिनांक 24.11.2017 करने के उपरान्त)
17	पैरा-11	अनिर्णीत
18	पैरा-12	अनिर्णीत
19	पैरा-14	अनिर्णीत
20	पैरा-15	अंशतः

		निर्णीत	
21	पैरा-16	अनिर्णीत	
(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 31.3.13 तक का गत अंकेक्षण प्रतिवेदन			
1	पैरा-7	अनिर्णीत	
2	पैरा-8	अनिर्णीत	
3	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत	(निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0डी0-एच(एफ) एच पी0आई0डी0बी0 पार्किंग यूज-4232 दिनांक 22.7.2014 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर को हिमुडा कार्यालय बिलासपुर में पार्किंग के निर्माण कार्य हेतु जमा ₹1.16 करोड़ को ब्याज सहित वापिस वसूली के आदेश जारी किये है व पार्किंग कार्य को PPP mode में करवाने के निर्देश भी दिये है)
4	पैरा-8 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-9	अनिर्णीत	
6	पैरा-10	अनिर्णीत	
7	पैरा-11 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा-11 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा-12	अनिर्णीत	
10	पैरा-12 (क)	निर्णीत	(₹184 की वसूली जी8 नं0 250/22 दिनांक 23.11.2017 से करने के उपरान्त)
11	पैरा-12 (ख)	निर्णीत	(₹350 की वसूली जी8 नं0 250/23 दिनांक 23.11.2017 से करने के उपरान्त)

12	पैरा-12 (ग)	निर्णीत	(₹736 की वसूली जी8 नं0 250/23 दिनांक 23.11.2017 से करने के उपरान्त)
13	पैरा-12 (घ)	निर्णीत	(₹480 की वसूली जी8 नं0 250/23 दिनांक 23.11.2017 से करने के उपरान्त)
14	पैरा-12 (ङ)	निर्णीत	(₹696 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन 11/2017 जिसका भुगतान 12/2017 में किया गया से करने के उपरान्त)
15	पैरा-13	अनिर्णीत	
16	पैरा-14	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या V(36)/2013 फिन (एल0ए0) खण्ड-2 दिनांक 22.6.2016 के द्वारा निर्णीत)
17	पैरा-15	निर्णीत	(भविष्य में वाहन की औसत प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारी से निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किए जाने के आश्वासन देने उपरान्त)
18	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा-16	निर्णीत	(कन्डम वाहनों डम्पर, कन्टेनर डस्टबिनों की नीलामी उपरान्त राशि की जी8 संख्या 202/48 दिनांक 10.8.2016 द्वारा जमा करने के उपरान्त)
20	पैरा-17	अपडेटिड	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा सं0 18 में सन्दर्भित)
21	पैरा-18	अनिर्णीत	(स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन)

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/15

1	पैरा-4	निर्णीत	
2	पैरा-5	निर्णीत	
3	पैरा-5.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा-5.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा-6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा-6.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा-6.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा-6.3	अनिर्णीत	
9	पैरा-6.4	अनिर्णीत	
10	पैरा-7	अनिर्णीत	
11	पैरा-8	अपडेटिड	
12	पैरा-9	अनिर्णीत	
13	पैरा-10	अनिर्णीत	
14	पैरा-11	अनिर्णीत	
15	पैरा-12	अनिर्णीत	
16	पैरा-13	अनिर्णीत	
17	पैरा-14	निर्णीत	(उप निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या V(36)/2012-Fin (LA) Part-2-3823 दिनांक 22.6.16 द्वारा निर्णीत)
18	पैरा-15	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में

			समाविष्ट किया गया है)
19	पैरा-16	निर्णीत	(₹469 की वसूली G8 No. 250/26 दिनांक 24.11.17 द्वारा करने उपरान्त)
20	पैरा-17	निर्णीत	(उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या V(36)/2012 फिन (एल0ए0) खण्ड-2 3823 दिनांक 22.2.2016 द्वारा निर्णीत)
21	पैरा-18	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
22	पैरा-19	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का संक्षिप्त सार

आरम्भिक शेष	251
अंकेक्षण के दौरान निपटाए गए पैरों की सं०	33
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरों की सं०	16
अन्तिम शेष	234